(५१)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
33 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018	07.05.2018	22.08.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री नेमी चन्द जैन पुत्र गम्भीर मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नेमी चन्द विकास कुमार जैन राजकीय हायर सैकण्डरी स्कूल के सामने टोरडी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

2– मैसर्स नेमी चन्द विकास कुमार जैन राजकीय हायर सैकण्डरी स्कूल के सामने टोरडी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

3–श्री राम कुंआर चौधरी पुत्र छगन लाल चौधरी प्रोपरायटर / एफ.बी.ओ मैसर्स के0के0 टैडिंग कम्पनी दूदू रोड मालपुरा जिला टोंक राज0

4– मैसर्स के0के0 टैडिंग कम्पनी दूदू रोड मालपुरा जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 22.08.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.02.2018 को समय सांय 02.12 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैसर्स नेमी चन्द विकास कुमार जैन राजकीय हायर सैकण्डरी स्कूल के सामने टोरडी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0पर पहुंचां। एफ.बी.ओ की हैसियत से श्री नेमी चन्द जैन पुत्र गम्भीर मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नेमी चन्द विकास कुमार जैन राजकीय हायर सैकण्डरी स्कूल के सामने टोरडी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **चाय के0के0 चाय पॉली पैक (Tea K K Chai Poly Pack)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री नेमी चन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता नेमी चन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे रखे **चाय के0के0 चाय पॉली पैक (Tea K K Chai Poly Pack)** 250–250 ग्राम के 12 पैकेट पॉलीपैक सीलड पैक मे से 8 नग पॉलीपैक कुल वजन 2.00 किलोग्राम का चयन कर वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री नेमी चन्द जैन को रू0 440 / –अक्षरे चार सो चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **चाय के0के0 चाय पॉली पैक (Tea K K Chai Poly Pack)**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

8 नग पॉलीपैक कुल वनज 2.00 किलोग्राम चार साफ एंव सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अलग–अलग 250–250 ग्राम के 2–2 पैकेट (प्रत्येक डिब्बे मे 500 ग्राम 2 पैकेट) डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1839 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1839 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. नेमी चन्द जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री नेमी चन्द जैन ने मौके पर **चाय के0के0 चाय पॉली पैक (Tea K K Chai Poly Pack)** बतोर वारन्टी मैसर्स के0के0 टैडिंग कम्पनी दूदू रोड मालपुरा जिला टोंक राज0 का विल क्रमांक/ इन्वॉइस नं. 32 दिनांक 20.02.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/932 दिनांक 02.04.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/137/एक्ट/2018/143 दिनांक 21.03.2018 अनुसार नेमी चन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **चाय के0के0 चाय पॉली पैक (Tea K K Chai Poly Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i)के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **चांय के0के0 चाय पॉली पैक (Tea K K Chai Poly Pack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **चाय के0के0 चाय पॉली पैक (Tea K K Chai Poly Pack)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **चाय के0के0 चाय पॉली पैक (Tea K K Chai Poly Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री नेमी चन्द जैन पुत्र गम्भीर मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नेमी चन्द विकास कुमार जैन राजकीय हायर सैकण्डरी स्कूल के सामने टोरडी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0पर शास्ति 3,000 (अक्षरे तीन हजार रू0) अप्रार्थी श्री राम कुंआर चौधरी पुत्र छगन लाल चौधरी प्रोपरायटर/एफ.बी.ओ मैसर्स के0के0 टैडिंग कम्पनी दूदू रोड मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 7,000 (अक्षरे सात हजार रू0) आरोपित की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

9/8

Scanned by CamScanner

जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22.08.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्य[illegible] एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner